

भारत सरकार
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
(विद्युत मंत्रालय)
हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए
'केन्द्रीय विद्युत मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष 2010 '

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 'केन्द्रीय विद्युत मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना' वर्ष 2010 (01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि में प्रकाशित पुस्तक) के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से है

- प्रथम पुरस्कार (एक) - 60,000/-रु०
 - द्वितीय पुरस्कार (एक) - 40,000/-रु०
 - तृतीय पुरस्कार (एक) - 25,000/-रु०
 - सात्वना पुरस्कार (एक) - 10,000/-रु०
- प्रविष्टि भेजने के इच्छुक व्यक्ति अन्य जानकारी के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा), के.वि.प्रा. से संपर्क करें।
 - पुरस्कार नियतन के लिए संलग्न प्रपत्र के साथ प्रविष्टियाँ 30.09.2010 तक निम्नलिखित पते पर अवश्य भेज दी जाएं।

सचिव,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110606.
दूरभाष- २६७३२५१७, टेली.फैक्स- २६१०८४७६

प्रपत्र

केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम

१. पुस्तक का नाम
२. पुस्तक का विषय
३. (i) लेखक/लेखकों के नाम
- (ii) पूरा पता
- (iii) दूरभाष संख्या
४. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता
- (iii) मूल्य
- (iv) प्रकाशन वर्ष
- (v) कॉपीराइट किसके अधीन है
५. क्या पुस्तक को किसी पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :
(क) किस वर्ष भेजी गई
- (ख) किसे भेजी गई (पूरा पता)
-
- (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें
.....
६. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि -
(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप में हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि करने से कॉपीराइट अधिनियम(यथा संशोधित) १९९७ के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर

नोट:

१. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-११०६०६ को भेजा जाए ।
२. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत् हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए ।

स्थान:

दिनांक:

Proforma

Regulations for Kendriya Vidhut Pustak Lekhan Puraskar Yojana- 2010

1. Title of the Book.....
2. Subject of the book.....
3. (i) Name of the writer/writers.....
(ii) Full Address.....
(iii) Telephone No.....
4. (i) Name of the publisher.....
(ii) Full Address of the publisher.....
(iii) Price.....
(iv) Year of publishing.....
(v) Copyright is with whom.....
5. Had the book ever been sent for some other competition? If yes, please give full detail thereof:
(a) When sent.....
(b) To whom sent.....
© Had any award been given? If yes, give full details.....
.....
6. I/We am/are Indian citizen (s).
 - (1) Name of the writer/writers.....
 - (2) The book has been whitten originally in Hindi by me/us.
 - (3) The copyright of any other person is not violated under the copyright Act (as amended), 1997 by entering my/our books in this scheme.

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of Kendriya Vidyut Pustak Lekhan Purasker yojna.

Signature of author/authors

Note:-

1. This form duly fulfilled in alongwith the three copies of the book may be sent to : “The secretary, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K.Puram, New Delhi-110066”
2. The gist of the book duly signed by the Author my also enclosed.

Place.....

Dete.....